न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 188/2021

2021/436

वादी :-

1. मदनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र हनुमानसिंह

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

किशनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह वगैरह

तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री मदनसिंह, कल्याणसिंह स्वयं वादी।
2. श्री तहसीलदार पचपदरा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 29.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 623 रकबा 17-03 बीघा,

सरहद मौजा चान्देसरा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम वादी नं.1 का नाम परमसिंह वादी नं. 2 कैविंग का नाम इकमसिंह होने से राजस्व रेकर्ड में परमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी कल्याणसिंह पुत्र इकमसिंह दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम मदनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कल्याणसिंह पुत्र हनुमानसिंह दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज परमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कल्याणसिंह पुत्र इकमसिंह के स्थान पर मदनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कल्याणसिंह पुत्र हनुमानसिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से इकबाली जवाबदावा पेश कर

वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम 1 परबतसिंह पुत्र डूंगरसिंह 2 रूपसिंह पुत्र हनुमानसिंह के स्थान पर मदनसिंह पुत्र डूंगरसिंह 2 ...सिंह पुत्र हनुमानसिंह दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ...तहसीलदार पचपदरा... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 623 रकबा 17.03 बीघा, सरहद मौजा मांडेलाव तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम 1 परबतसिंह पुत्र डूंगरसिंह 2 रूपसिंह पुत्र हनुमानसिंह दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम परबतसिंह पुत्र डूंगरसिंह रूपसिंह पुत्र हनुमानसिंह दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मदनसिंह पुत्र डूंगरसिंह ...सिंह पुत्र हनुमानसिंह है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 623, रकबा 17.03 बीघा, सरहद मौजा मांडेलाव ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम परबतसिंह / रूपसिंह पुत्र डूंगरसिंह / हनुमानसिंह के स्थान पर मदनसिंह पु० डूंगरसिंह ...सिंह पुत्र हनुमानसिंह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को कोर्ट कैम्प कोर्ट मांडेलाव **में मजमें आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:13 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इजराई

(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

कैम्प कोर्ट [illegible]

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह 2/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री [illegible] सिंह, [illegible] सिंह वादी स्वयं मय निजाबित श्री [illegible] पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम में की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं [illegible] रकबा [illegible] बीघा, सरहद मौजा [illegible]

वादी 1/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह

बाबस्ता आराजी में वादी का गलत नाम 1/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह के स्थान पर 1/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह 2/ [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रकार्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें। नीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible] को जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:13 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रकम	पै	मुद्दायलह	रकम
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प [illegible]	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प [illegible]	
स्टाम्प बजह सबूत			मेहनताना वकील	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
इश्तहारात			इश्तहारात	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	